

# न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर (म.प्र.)

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक-13 प्र.क्र. 186/2010-11/अ-89(13)

ग्वालियर दिनांक 15 अप्रैल 2011



प्ररूप - दो  
{ नियम 3 (4) देखिये }

## ॥ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ॥

मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाये गये मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम, 1999 के अधीन :-

मैसर्स "सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन-इंडिया"

पता : 409, ब्लॉक-सी, वीर आवास सेक्टर, 18-ए,  
द्वारिका, न्यू देहली-110078

द्वारा : श्री खजानसिंह पुत्र श्री हीरासिंह  
(अथोराईज्ड सिग्नेटरी)

पता- हाउस नं.-7, ब्लॉक-1, व्ही.पी.ओ. बिरही कलान, तहसील चरखी दादरी,  
जिला भिवानी, हरियाणा

मौहल्ला : .....X.....  
ग्राम वार्ड : .....X.....  
नगर : .....X.....  
तहसील : .....X.....  
जिला : .....X.....


को एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जाता है :

- 1- यह रजिस्ट्रीकरण "ग्राम पंचायत खुरैरी (ज.पं. मुरार) के क्षेत्र" तहसील व जिला ग्वालियर तक सीमित है ।
- 2- प्रत्येक अतिरिक्त कॉलोनी स्थापना की पूर्व सूचना कॉलोनाईजर को देना होगी ।
- 3- प्रारंभ करने के लिये प्रत्येक कॉलोनी की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी ।
- 4- म.प्र. पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रकरण, निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 के नियम 3(7) के अन्तर्गत यह प्रमाण पत्र जारी दिनांक से (आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत बैंक गारण्टी की अंतिम अवधि अनुसार) दिनांक 26.6.2015 तक वैध रहेगा ।
- 5- यदि सक्षम प्राधिकारी को यह जानकारी प्राप्त होती है कि रजिस्ट्रीकरण के किसी निर्बन्धन या शर्त का उल्लंघन हुआ है तो यह प्रमाण-पत्र नियमानुसार रद्द भी किया जा सकता है ।

टीप :- नियमानुसार कॉलोनी के विकास की अनुमति प्राप्त कर लेने से के पश्चात् ही कॉलोनी की स्थापना, इसका विकास कार्य, भू-खण्डों/भवनों का विक्रय या विक्रय का करार वैध होगा ।

स्थान :- ग्वालियर

दिनांक :- 15 अप्रैल 2011

  
Sub-Divisional Officer  
अनुविभागीय अधिकारी  
GWALIOR (M.P.)  
ग्वालियर, म.प्र.